झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषयः– राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं हेतु परिक्रामी निधि (Revolving Fund) के गठन एवं राज्य योजना अन्तर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मार्ग–निर्देश में संशोधन की स्वीकृति।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संविधान के अनुच्छेद–41 के आलोक में राज्य योजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के असहाय वृद्ध व्यक्तियों, 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गयी है एवं 05 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग व्यक्ति, जिनके पास उनकी स्वयं की आय, भरण–पोषण के लिए काफी कम पड़ती है या उनके परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से काफी कम वित्तीय सहायता मिलती है, को लक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त आदिम जनजाति परिवारों के उत्थान हेतु प्रत्येक परिवार की एक वयस्क विवाहित महिला अथवा उनके नहीं होने पर पुरूष मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती रही है। HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति जो ART/ARD प्राप्त कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती रही है। इस हेतु योग्य लाभुकों को राज्य मद से वित्तीय सहायता स्वरूप 1000/– रू0 प्रतिमाह बैंक खाते में ABPS/PFMS के माध्यम से प्रदान की जाती है।

2) महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के निम्नांकित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश पूर्व से निर्गत है :–

क्र0स0	योजना का नाम	संकल्प संख्या एवं तिथि
क	मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	2208, दिनांक– 16.09.2019 (एवं 1875, दिनांक– 29.12.2020 के साथ)
ख	मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना	2213, दिनांक– 16.09.2019
ग	स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना	2207, दिनांक– 16.09.2019
घ	HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना	2206, दिनांक–16.09.2020

3) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से अधिक से अधिक सुयोग्य व्यक्तियों को आच्छादित करने के उद्देश्य से, सम्यक विचारोपरांत उपरोक्त कंडिका में वर्णित संकल्पों को विलोपित कर सार्वभौमिक पेंशन योजना का स्वरूप देते हुये निम्नवत् संशोधन किया जाता है –

i. नाम– राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ निम्नांकित नामों से जाना जायेगाः–

क्र0स0	पूर्व में योजना का नाम	योजना का वर्त्तमान नाम
क	मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
ख	मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना	मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
ग	स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना	स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
घ	HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना	HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना

ii. उद्देश्य – राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का उद्देश्य निम्नवत् हैः–

क्र0स0	योजना का नाम	योजना का प्रस्तावित उद्देश्य
क	मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य में निवास करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे असहाय वृद्ध व्यक्तियों, जिनके पास उनकी खुद की आय भरण–पोषण के लायक नहीं है या भरण पोषण के लिए काफी कम पड़ती है या उनके परिवार के सदस्यों या अन्य श्रोतों से काफी कम वित्तीय सहायता मिलती है को सामाजिक सुरक्षा उपलबध कराना है।
ख	मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना	"राज्य में निवास करने वाली (क) 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की ऐसी महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, (ख) 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, (ग) 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला को सामाजिक सुरक्षा उपलबध कराना है।
ग	स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना	इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाली 05 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
घ	HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना	राज्य में निवास करने वाले HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा उपलबध कराने के लिए HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा उपलबध कराना है।

iii. **योजना का स्वरुप** – उपरोक्त वर्णित योजनाओं का स्वरुप निम्नवत् है :–

इन योजनाओं के तहत योग्य लाभुकों को रू०–1,000/– (एक हजार रुपये) प्रतिमाह प्रति लाभुक की आर्थिक सहायता बैंक खाते में APBS/PFMS के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

iv. **लाभार्थी हेतु पात्रता** – उपरोक्त कंडिका– 3 (i) में वर्णित राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत् होगी :–

a) 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक का मतदाता पहचान पत्र हो।

b) आवेदक का आधार कार्ड हो।

c) आवेदक स्वयं या पत्नी/पति, केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रुप से नियोजित/सेवानिवृत्त और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए।

d) आयकर अदा नहीं करने वाले परिवार।

e) आवेदक के 'परिवार' से तात्पर्य है – पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।

f) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

g) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है, उन्हें पूर्ववत् योजना का लाभ प्राप्त होता रहेगा तथा वे इस योजना के लााथार्थी के रूप में माने जाएंगे। वर्तमान स्वरूप योजना के लागू होने के पश्चात् स्वीकृत आवेदन/पेंशनधारी पर लागू होगा।

v. **लाभार्थी हेतु अतिरिक्त पात्रता** – उपरोक्त कंडिका–3 (iv) में वर्णित पात्रता के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए अतिरिक्त पात्रता निम्नवत् होगी :–

क	मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की उम्र 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हो।
ख	मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना	आवेदक (क) 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की ऐसी महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, (ख) 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, (ग) 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला हो।

ग	स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना	i. आवेदक (पुरुष / स्त्री) की उम्र 05 वर्ष अथवा इससे अधिक हो। ii. आवेदक Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 Section-2 (r) के अनुसार benchmark disability अथवा Section-2 (s) "person with disability" अथवा Section-2 (t) "person with disability having high support needs" अथवा Section-2 (zc) "specified disability" की श्रेणी में आता हो
घ	HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना	i. आवेदक के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। ii. HIV/ AIDS पीड़ित व्यक्ति जो ज़िला एड्स नियंत्रण सोसाईटी से ART (Antiretroviral Therapy)/ ARD(Antiretroviral Drugs) प्राप्त कर रहे हैं वे लाभ के हक़दार होंगे।

vi. **आवेदन प्रक्रिया** – उपरोक्त कंडिका– 3 (i) में वर्णित राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

"आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी :–

a) 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक की मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति।
b) आधार–कार्ड की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।
c) बैंक खाता का पासबुक की छायाप्रति।
d) पात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र।
e) उपरोक्त वर्णित प्रमाण–पत्रों के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ भी संलग्न करनी आवश्यक होंगी :–

क	मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	आयु प्रमाण पत्र संबंधी कोई दस्तावेज।
ख	मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना	18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की ऐसी महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, के संदर्भ में आवेदक की पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु परित्यक्त महिला, 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया एवं पंचायत सचिव तथा शहरी / नगरीय क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाण पत्र, अथवा माननीय विधायक / सांसद, अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र / अनुशंसा।
ग	स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना	i. दिव्यांगता संबंधी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति। ii. आवेदक का आयु प्रमाण पत्र (18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल अथवा कॉलेज से प्रधानचार्य / प्रिन्सिपल का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)।
घ	HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना	i. आवेदक के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। ii. ART (Antiretroviral Therapy)/ ARD (Antiretroviral Drugs) प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण–पत्र।

vii. **कार्यान्वयन प्रक्रिया –** उपरोक्त कंडिका–3 (i) में वर्णित योजनाओं का कार्यान्वयन प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(a) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी पेंशन संबंधी आवेदनों के स्वीकृति पदाधिकारी होंगे।

(b) ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन NSAP-PPS Portal पर Online अथवा offline (हार्ड कॉपी) प्राप्त किया जायेगा। Offline आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी उसे Online कराएंगे।

(c) प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखण्ड विकास पदाधिकरी / अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जॉच करायी जाएगी।

(d) उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखण्ड / अंचल को मार्गदर्शिका के अनुरूप Online स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

(e) स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को सूचित किया जायेगा, जिसका प्रकाशन संबंधित कार्यालय/पंचायत के सरकारी भवन पर प्रकाशित किया जाएगा।

(f) संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा NSAP-PPS Portal पर प्रविष्ट लाभुकों के आधार पर प्रतिमाह कोषागार से राशि की निकासी कर ABPS/PFMS के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में भुगतान की जायेगी। आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा Centralised Payment भी किया जा सकता है।

(g) प्रत्येक महीने की 5 तारीख़ तक पेंशन राशि सभी लाभार्थियों के खाते में भेजी जायेगी। साथ ही प्रत्येक महीने उन सभी लाभार्थियों को खाते में भेजे जाने वाली पेंशन राशि की जानकारी SMS द्वारा उनके रजिस्टर्ड फ़ोन नम्बर पर भी भेजी जायेगी।"

(h) प्रत्येक पंचायत भवन और शहरी क्षेत्र में उक्त वार्ड में अवस्थित किसी भी सरकारी कार्यालय पर दिवार लेखन द्वारा प्रत्येक पेंशन धारी की जानकारी सार्वजनिक की जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष लाभार्थी का नाम विलोपित होने के पश्चात उक्त लाभार्थी का नाम हटा दिया जायेगा।"

viii. **लाभार्थी का वार्षिक सत्यापन** – उपरोक्त कंडिका–3 (i) में वर्णित योजनाओं के लाभार्थी का वार्षिक सत्यापन निम्नवत् किया जायेगा :–

(a) इस योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का वार्षिक सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा करायी जायेगी।

(b) विभाग इस संबंध में लाभुक से प्रज्ञा केन्द्र/अन्य माध्यम से निर्गत जीवन प्रमाण–पत्र की मांग कर सकता है।

ix. **लाभार्थी का नाम विलोपित करने की प्रक्रिया** – उपरोक्त कंडिका–3 (i) में वर्णित योजनाओं के लाभार्थी का नाम विलोपित करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

i. ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर नाम विलोपित किया जायेगा।

ii. लाभार्थी का नाम विलोपित किये जाने के निम्न आधार होंगे –

(क) लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में।

(ख) लाभार्थी अपने पते पर एक वर्ष से अधिक समय से नहीं रह रहा हो।

(ग) चयन के समय जो अर्हत्ता निर्धारित थी, वास्तव में लाभार्थी उसकी अर्हत्ता नहीं रखता हो।

(घ) योजना के लाभार्थी, अन्य पेंशन योजनाओं में से किसी का भी लाभ ले रहा हो।

(ड) उपरोक्त कंडिका–ix (ii) के (ग) एवं (घ) के आधार पर लाभुक के अयोग्य पाये जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में

संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा लाभुक को कम से कम 15 दिन का नोटिस निर्गत किया जायेगा। नोटिस निर्गत होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो तो) के निराकरणोपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(च) उपरोक्त कंडिका–ix (ii) के (क) एवं (ख) के आधार पर लाभार्थियों की स्वीकृत सूची से नाम विलोपित किये जाने के लिए प्रस्तावित/ चिन्हित व्यकतियों की सूची, विलोपन के कारण के साथ ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में सूचना पट्ट पर एक माह तक प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी एक–एक प्रति संबंधित पंचायत कार्यालय/ नगर निकाय को प्रेषित की जायेगी। सूचना पट्ट पर प्रदर्शन के पश्चात प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो तो) के निराकरणोपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।"

x. **लाभार्थी का सामाजिक लेखा परीक्षा** – उपरोक्त कंडिका–3 (i) में वर्णित योजनाओं के लाभार्थी का सामाजिक लेखा परीक्षा निम्नवत् होगा :–
''योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा वर्ष में दो बार किया जायेगा।''

xi. **अपील की प्रक्रिया** – उपरोक्त कंडिका–3 (i) में वर्णित योजनाओं के अपील की प्रक्रिया निम्नवत् होगा :–

i. ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के पेंशन संबंधी किसी भी निर्णय के विरूद्ध, अनुमंडल पदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होंगे।

ii. अनुमंडल पदाधिकारी के पेंशन संबंधी किसी भी निर्णय के विरूद्ध, जिले के उप विकास आयुक्त, पुर्नरावलोकन पदाधिकारी होंगे।

iii. प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं पुर्नरावलोकन पदाधिकारी पेंशन संबंधी ऐसे प्राप्त आवेदनों का निष्पादन, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेंगे।

xii. **अन्यान्य मार्ग निर्देश** – उपरोक्त कंडिका–3 (i) में वर्णित योजनाओं के अन्यान्य मार्ग निर्देश निम्नवत् है :–

i. इस मार्ग–निर्देश के निर्गत होने की तिथि से इस विषयक पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प विलोपित समझा जायेगा।

ii. नई मार्ग–दर्शिका संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

iii. निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड द्वारा उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में सभी जिलों के लिए लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

iv. सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड से आवंटित लक्ष्य के आलोक में जिला के सभी प्रखण्ड/अंचल के लिए लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

v. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के स्वीकृति पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप ही पेंशन से संबंधित आवेदन–पत्रों की स्वीकृति सुनिश्चित करेंगे।

vi. राज्य योजना अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभुकों की सूची ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय, शहरी क्षेत्र में वार्ड

एवं अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोशांग एवं उप विकास आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

vii. इसकी प्रति संबंधित क्षेत्र के पंचायत / नगर निकाय / स्थानीय विधायक / स्थानीय सासंद को वर्ष में एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।

viii. ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी, अपने क्षेत्र अन्तर्गत लाभुकों की सूची की शुद्धता के पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

ix. ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी, अपने क्षेत्र अन्तर्गत लाभुकों की स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करेंगे एवं इसकी शुद्धता के पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

xiii. उपरोक्त कंडिका–3 (i) में वर्णित योजनाओं के आच्छादित लाभुकों को निम्नवत् पेंशन भुगतान किया जायेगा :–

क्र0स0	योजना का नाम	राज्यांश	कुल
क	मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	रु0–1000 / –	रु0–1000 / –
ख	मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना	रु0–1000 / –	रु0–1000 / –
ग	स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना	रु0–1000 / –	रु0–1000 / –
घ	HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना	रु0–1000 / –	रु0–1000 / –

4) **परिक्रामी निधि (Revolving Fund)** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित विभिन्न पेंशन योजनाओं में प्रत्येक लाभुकों को आर्थिक सहायता के तहत पेंशन राशि प्रदान की जाती है। मगर प्रायः देखा गया है कि त्रैमासिक रूप में केन्द्र सरकार से मिलने वाली एकमुश्त सहायता राशि आने में विलंब हो जाता है जिससे पेंशन धारकों को पेंशन राशि प्रदान करने में अनियमितता के साथ समस्या का सामना करना पड़ता है।

इस समस्या को दूर करने के लिए **रु० 100 (एक सौ) करोड़ की परिक्रामी नीधि (Revolving Fund) बनाया जाता है,** जिससे लाभुकों को ससमय पेंशन राशि प्रदान की जा सकेगी। उक्त परिक्रामी नीधि हेतु एक अलग बैंक खाता खोला जायेगा जिसका संचालन निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा किया जायेगा।

5) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है, उन्हें पूर्ववत् योजना का लाभ प्राप्त होता रहेगा।

6) इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक–12.11.2021 की बैठक के मद संख्या–38 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियाँ राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानासभा/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

राज्यपाल के आदेश से,

18/11/21
(अविनाश कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 03/म0स0/पें0यो0–61/2019– 2174 राँची, दिनांक -18-11-2021
प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त।

18/11/21
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 03/म0स0/पें0यो0–61/2019– 2174 राँची, दिनांक -18-11-2021
प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी अंचल अधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, झारखण्ड/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त।

18/11/21
सरकार के प्रधान सचिव।